न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 33/2023

प्रार्थी

शिवलाल पुत्र कपूर जी, जाति– पुरोहित, निवासी–मोहब्बतनगर, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1)ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर, जिला–सिरोही
(2)श्रीमती त्रिजादेवी पत्नी त्रिकमा जी, जाति–पुरोहित, निवासी– मोहब्बतनगर, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 17 नवम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी शिवलाल पुत्र कपूर जी, जाति पुरोहित, निवासी– मोहब्बनगर की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी त्रिजादेवी पत्नी त्रिकमा जी, जाति– पुरोहित, निवासी– मोहब्बतनगर के पक्ष में पारित संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.6.2012 व इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर की ओर से निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) के पक्ष में पंचायत के सकंल्प दिनांक 05.6.2012 की अनुपालना में पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.1.2012 को जारी किया है, जिसकी चतुर्दशी उत्तर में गेमराज पुत्र नवाजी पुरोहित, दक्षिण में दरवाजा व आम रास्ता, पूर्व में गेमराज पुत्र नवाजी पुरोहित, पश्चिम में शांतिलाल पुत्र हरजीजी का मकान है एवं नाप उत्तर–दक्षिण 43 फीट व पूर्व–पश्चिम 52 फीट कुल क्षेत्रफल 2236 वर्गफीट है। यह कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजादेवी) के पक्ष में जिस भूमि व मकान का पट्टा जारी किया है उस मकान को प्रार्थी के पिता कपूराराम पुत्र जैसाजी पुरोहित ने गेमराज पुत्र नवाजी पुरोहित से दिनांक 06.3.1973 को खरीद किया था जिसका असल पट्टा संख्या 37 दिनांक 04.1.1964 को ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा जारी किया गया था, परन्तु अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) को इस तथ्य की जानकारी नहीं होने से अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) जो कि प्रार्थी की [illegible] पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर से जारी [illegible]। वर्तमान में जब अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) को इस तथ्य [illegible] व मकान का पट्टा जारी

...पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय सिरोही

किया है उक्त भूखण्ड शामलाती है तथा उसका पूर्व में ही पट्टा जारी हो चुका है, तब अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) ने इस पट्टा संख्या 24 को खारिज करवाने की सहमति दी एवं पट्टा संख्या 24 को अप्रार्थी त्रिजादेवी खारिज करवाने हेतु तैयार है। यह कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर ने पट्टा संख्या 24 जारी किये जाने से पूर्व प्रार्थी व अन्य विधिक वारिसान को जानकारी दिये बिना उक्त पट्टा संख्या 24 जारी किया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत ने जिस सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी संख्या–2 को जारी किया है वह सम्पत्ति कपूरजी के विधिक वारिसान की संयुक्त सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति कपूरजी द्वारा मोल कीमत अदा कर खरीद किये जाने से पूर्व उसका पट्टा जारी किया हुआ है, ऐसी स्थिति में जिस भूमि का पट्टा पहले से ही जारी किया हुआ है उसी भूमि जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को जिस सम्पत्ति का पट्टा जारी किया हैं उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति अविभाजित होने से अप्रार्थी संख्या–2 के हक अधिकार की भूमि की निश्चित चतुदर्शी दर्शित किया जाना संभव नहीं है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को निश्चित नाप व चतुदर्शी का पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत अपने वैध प्राधिकार के विपरित कार्य कर उक्त पट्टा जारी किया जाने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योकि अविभाजित आवासीय भूमि का बंटवारा करने का अधिकार व क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। यह कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर ने अप्रार्थी त्रिजोदवी के पक्ष में पट्टा संख्या 24 जारी किये जाने से पूर्व न तो प्रार्थी को व न ही किसी अन्य विधिक वारिसान को कोई सूचना प्रदान की एवं अप्रार्थी संख्या– 2 से अवैध लाभ प्राप्त कर अवैध तरीके से उक्त पट्टा जारी किया गया है जो काबिले खारिज है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–2 भी इस पट्टे को न्यायालय के माध्यम से खारिज करवाने हेतु तैयार है। यह कि पूर्व एवं वर्तमान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जब किसी भूमि का पट्टा एक बार ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति के नाम से जारी कर दिया जाता है उसके बाद उस भूमि का स्वामित्व उस पट्टा धारक में निहित हो जाता है एवं उस भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं होता है बावजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी त्रिजोदवी से मिलीभगत कर कर एक ही भूमि का दुबारा पट्टा जारी कर दिया है। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 को पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर ने कोई नोटिस जारी नही किया एवं न ही कोई आम आपत्ति नोटिस जारी किया और न ही पंचायत में उपलब्ध रेकर्ड की जांच की है। प्रार्थी को प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 की जानकारी प्राप्त हुई, तब प्रार्थी ने सम्पूर्ण दस्तावेज प्रदान कर ग्राम पंचायत मोहब्बत नगर को उसके द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 24 को खारिज करने का निवेदन किया, परन्तु उसके बावजूद भी उक्त पट्टा खारिज नहीं किये जाने से प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी त्रिजोदवी पत्नी त्रिकमाजी पुरोहित, निवासी–मोहब्बतनगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 व पारित संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.06.2012 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) के पक्ष में जिस भूमि व मकान का पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को जारी किया है उसका पूर्व में पट्टा जारी होने की अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) को कोई जानकारी नही थी। अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) ... होने के कारण जानकारी के अभाव में उक्त पट्टा संख्या 24 ... वर्तमान में यदि न्यायालय द्वारा

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

इस पट्टे को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) को कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या– 2(त्रिजोदेवी) प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 को खारिज करने हेतु पूर्ण सहमति प्रदान करती हैं। यह सही है कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) को उक्त पट्टा जारी किये जाने से पूर्व प्रार्थी व अन्य विधिक वारिसान को कोई जानकारी प्रदान नहीं की थी। यह कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर ने जिस सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) को जारी किया है, उक्त सम्पत्ति कपूरजी के विधिक वारिसान की संयुक्त सम्पत्ति है लेकिन इस तथ्य की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) ने स्वयं के नाम से पट्टा संख्या 24 जारी करवाया है, जिसे खारिज किये जाने पर अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) को जिस सम्पत्ति का पट्टा जारी किया है, वह सम्पूर्ण सम्पत्ति अविभाजित सम्पत्ति है, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) व अन्य विधिक वारिसान का समान हक हिस्सा है, लेकिन ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर से अप्रार्थी संख्या–2 ने कोई अवैध लाभ प्राप्त नहीं किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) को उक्त भूमि पुश्तैनी होने व उसका पट्टा पूर्व में जारी होने के तथ्य की जानकारी होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 को खारिज करवाने हेतु ग्राम पंचायत मोहब्बतनगर मे गये थे परन्तु ग्राम पंचायत को पट्टा खारिज करने का अधिकार नहीं होने से उक्त पट्टा खारिज नहीं किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को स्वीकार कर सहमति के आधार पर उक्त पट्टा संख्या 24 व संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.06.2012 को निरस्त कर खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

(4　प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी त्रिजादेवी पत्नी त्रिकमाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– मोहब्बतनगर के पक्ष में पंचायत के सकंल्प संख्या 7 दिनांक 05.6.2012 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजादेवी) के पक्ष में जिस भूमि व मकान का पट्टा जारी किया है उस मकान को प्रार्थी के पिता कपूराराम पुत्र जैसाजी पुरोहित ने गेमराज पुत्र नवाजी पुरोहित से दिनांक 06.3.1973 को खरीद किया था जिसका असल पट्टा संख्या 37 दिनांक 04.1.1964 को ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा जारी किया गया था, परन्तु अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) को इस तथ्य की जानकारी नहीं होने से अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) जो कि प्रार्थी के भाई की पत्नी है ने पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर से जारी करवा दिया। वर्तमान में जब अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) को इस तथ्य की जानकारी हुई कि जिस भूखण्ड व मकान का पट्टा जारी किया है उक्त भूखण्ड शामलाती है तथा उसका पूर्व में ही पट्टा जारी हो चुका है, तब अप्रार्थी संख्या– 2 (त्रिजोदवी) ने इस पट्टा संख्या 24 को खारिज करवाने की सहमति दी एवं पट्टा संख्या 24 को अप्रार्थी त्रिजादेवी खारिज करवाने हेतु तैयार है।'' जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) का कथन है कि ''ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) के पक्ष में जिस भूमि व मकान का पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को जारी किया है उसका पूर्व में पट्टा जारी होने की अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) को कोई जानकारी नही थी। अप्रार्थी संख्या–2 (त्रिजोदवी) अनपढ महि[illegible] के कारण जानकारी के अभाव में उक्त पट्टा संख्या 24 जारी करवा[illegible] [illegible]यालय द्वारा इस पट्टे को

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या— 2 (त्रिजोदवी) को कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या— 2(त्रिजोदेवी) प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 को खारिज करने हेतु पूर्ण सहमति प्रदान करती हैं।''

प्रकरण में दोनों पक्षों के कथन से यह तथ्य निर्विवादित है कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 (त्रिजादेवी) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को जारी किया गया है उस सम्पति का पूर्व में ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा पट्टा संख्या 37 दिनांक 04.1.1964 को जारी किया हुआ है एवं इस पट्टा संख्या 37 दिनांक 04.1.1964 से संबंधित भूमि को प्रार्थी के पिता कपूराराम पुत्र जैसाजी पुरोहित, निवासी— मोहब्बतनगर द्वारा गीमाराम पुत्र नवाजी से पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गई थी। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय विलेख की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा पूर्व में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 04.1.1964 से संबंधित भूमि का अप्रार्थी संख्या—2 (त्रिजादेवी) के पक्ष में पुनः पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को जारी किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत को पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी त्रिजादेवी के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2012 व इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने व भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर द्वारा अप्रार्थी त्रिजादेवी पत्नी त्रिकमाजी पुरोहित, निवासी— मोहब्बतनगर के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2012 व इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.6.2012 को निरस्त किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 नवम्बर, 2023 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ सिरोही ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:08 IST
Reason: SelfAttested